




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

कन्हाई कुमार वर्गरे

बनाम

लखीन्द्र प्रजापति वर्गरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...139.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>खिनायतु (राई ओपपी)</u> के अप्राथमिकी सं०-38/17 दिनांक-18/09/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>2मि विवाह के कारण उभय पक्ष में तनाव है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>16/10/17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>16/10 1st party appeared & pleaded not guilty 2nd party were absent. To remain present on 6/11</p> <p></p>	

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
23-03-18	पीठाधीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यक्त। दिनांक 09-04-18 को रखे। —
09-04-18	पीठाधीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यक्त। दिनांक 04-05-2018 को रखे। —
04-05-18 18-05-18	पीठाधीन पदाधिकारी का अकाल्य पर। दिनांक 08-06-18 को रखे। —
08-06-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पल अधिवक्ता दायरी द्वितीय पल क्रमांक 01 उपस्थापित क्रमांक 02 अनुपस्थापित। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालवाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है। 8/6/18